ई0 फाईल संख्या-51161

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 23 अगस्त,2024

विषयः मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-539/2023 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत मड़मानले दोबांस मोटर मार्ग के किमी0 2.00 से बारमों तक मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत कार्य हेतु मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन, जिसमें मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 3.125 कि0मी0 एवं लागत ₹189.01 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 189.01 लाख (₹ एक करोड़ नवासी लाख एक हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल, निम्नांकित शर्तों के अधीन, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. विस्तृत आगणन में विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ii. वित्त अनुभाग-07 के शासनादेश संख्या- 149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये है तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा एवं कार्य कराने से पूर्व भूमि का अधिग्रहण करना सुनिश्चित कर लिया जाये।

iii. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में, निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

iv. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

ार्माण कार्य को किसी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त जायेगा।

कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी का होगा।

उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न ाये।

ाने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी व्यय कदापि न किया जाय।

ष्यगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड रमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का से अनुपालन किया जायेगा।

में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2025 तक सुनिश्चित जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यो) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-6 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन त किया जायेगा।

बंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-02) के नामें डाला जायेगा ।

ादेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/234513/2024, दिनांक 22 अगस्त, उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ed by Shyam Singh
: 23-08-2024 15:47:22

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
आयुक्त, कुमाउं मण्डल, नैनीताल।